

प्ररूप 11

[नियम 12(1)]

मामला मानीटरी शीट

(यदि बच्चों की संख्या एक से अधिक हो तो अलग कागज़ का प्रयोग करें)

किशोर-न्याय बोर्ड, जिला

मामला सं..... से संबंधित

मामले का नाम:

पुलिस थाना	तिथि
धारा	प्र.सू.रि. /जीडी/डीडी संख्या.....
परिवीक्षा अधिकारी का नाम	जांच अधिकारी का नाम
वकील का नाम	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम
(वकील न किए जाने की स्थिति में सरकारी वकील उपलब्ध कराएं)	

अपराध की श्रेणी गौण (अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद) गंभीर (अधिकतम दंड : 3 से 7 वर्ष तक कैद) जघन्य (न्यूनतम दंड : 7 वर्ष तक कैद या इससे अधिक)

बालक की विशिष्टियां			
नाम	माता-पिता/ संरक्षक संपर्क संख्या सहित	वर्तमान पता	स्थायी पता
बच्चे के पकड़े जाने की तिथि और समय			
प्रथम बार पेश करने की तिथि और समय			
दं.प्र.सं. की धारा 54 के अधीन चिकित्सा जांच की तिथि			
आयु निर्धारण			
अपराध की तिथि को आयु			
आयु निर्धारण करने की तिथि			
आयु निर्धारण के लिए लिया गया समय			
निर्धारणकर्ता	बोर्ड	न्यायालय	
वह साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया:	दस्तावेज	चिकित्सा	

बालक को संरक्षण में लेना		
प्रेक्षण(निगरानी) गृह/सुरक्षित स्थान में	जमानत प्रदान करने की तिथि	किसके पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्थान का नाम)
.....से.....को		

जांच की प्रगति

(प्रथम पेशी के दिन मामले के निपटान के लिए समय अनुसूची)

कार्रवाई	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि
सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में पुलिस की रिपोर्ट (प्रपत्र सं.1 में)	तिथि	
जमानत पर विचार	तिथि	
आयु निर्धारण	तिथि	
परिवीक्षा अधिकारी की एसआईआर (प्रपत्र सं. 6 में)	तिथि	

पुलिस द्वारा जांच पूरी होने पर दं.प्र.सं. की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट	तिथि	
आगामी जांच के प्रावधानों पर रिपोर्ट, यदि कोई हो	तिथि	
दं.प्र.सं. की धारा 251 के अंतर्गत नोटिस	तिथि	
अभियोजन साक्ष्य (.....से को)	तिथि	
(साक्ष्यों की संख्या के आधार पर तिथियां निरंतर निश्चित की जा सकती)		
दं.प्र.सं.की धारा 281 के अंतर्गत किशोर का वक्तव्य(कथन)	तिथि	
प्रतिवादी साक्ष्य	तिथि	
पृथक देखरेख योजना (सांस्थानिक देखरेख अधीन बच्चे के मामले में, प्रवेश के एक मास के भीतर, पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए।	तिथि	
अंतिम तर्क	तिथि	
निपटान(अंतिम)आदेश	तिथि	
निपटान आदेश के पश्चात समीक्षा	तिथि	

हस्ताक्षरकर्ता
किशोर-न्याय बोर्ड